पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। उक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी एवं मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी सभी पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई थी।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत पाल के खसरा नम्बर 473 की 32 बीघा 05 बिस्वा भूमि के संबंध में म्युटेशन संख्या 06 दिनांक 13.03.1963 को नेनूराम जाट के पक्ष में भरा, जिसे अप्रार्थी गोपाराम ने चुनौती देते हुए एक अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 06/2023 गोपाराम बनाम देवाराम वगैरा दिनांक 08.11.2023 को स्वीकार की गई एवं म्युटेशन संख्या 06 दिनांक 13.03.1963 को निरस्त करने का आदेश दिया गया, जिसके पश्चात मूल अपील के रेस्पोडेंट देवाराम पुत्र नेनूराम उर्फ नेनाराम ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर उक्त आदेश दिनांक 08.11.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना की एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के नोटिस भेजे गये। अप्रार्थी गोपाराम की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, उनके द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का जवाब एवं मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

जहां तक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रश्न है, प्रार्थी ने यह कथन किया कि उसे आदेश दिनांक 08.11.2023 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.01.2024 को पटवारी हल्का के कहने पर हुई, इससे पूर्व उसे जानकारी नहीं थी, न ही उस पर कोई नोटिस तामील हुआ था एवं न ही निर्णय की उसे किसी प्रकार से कोई सूचना दी गई थी एवं उक्त आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध है एवं आबादी भूमि के संबंध में है एवं पूर्व में भी अनेक कार्यवाहियां हो चुकी है, इसलिए आदेश एजएब्यूनेशियो वाईड, शून्य प्रभावी एवं बिना क्षेत्राधिकार का है, इसलिए उसे किसी भी स्टेज पर चुनौती दी जा सकती है एवं डिले को कण्डोन करने की प्रार्थना की। अप्रार्थी संख्या 1 गोपाराम की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी पर नोटिस तामील हो गया था एवं जिस दिन आदेश हुआ, उस दिन ही उसे जानकारी हो गई थी। आदेश दिनांक 08.11.2023 मृत व्यक्ति के विरूद्ध नहीं है, न ही आबादी भूमि के संबंध में है, न ही इस भूमि के संबंध में पूर्व में किसी प्रकार की कार्यवाहियां हुई है, इसलिए डिले को कण्डोन नहीं किया जावे।

उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 08.11.2023 का है एवं दिनांक 31.01.2024 को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। निर्णय होने के पश्चात किसी प्रकार की लम्बी अवधि नहीं गुजरी है। उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में लगभग 02 महिने की देरी है। चूंकि मूल अपील में प्रार्थी देवाराम की अनुपस्थिति में निर्णय किया गया है। अतः न्यायहित में तकनिकी आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना उचित नहीं समझते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है। जहां तक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का प्रश्न है, प्रार्थी ने यह कथन किया है कि अपील में दिये गये एकतरफा निर्णय को निरस्त करने के साथ–साथ प्रार्थी इसमें रिव्यू का प्रावधान अंतर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम भी जोडना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह कथन किया गया कि उक्त प्रकार के संशोधन की अनुमति देना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यह अभिवचन में संशोधन न होकर अभिवचन के शीर्षक में संशोधन है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र में रिव्यू अंतर्गत धारा 86 भू–राजस्व अधिनियम का संशोधन प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार करना उचित है, इसलिए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक को रेकर्ड पर लिया जाता है।

चूंकि उक्त प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. पर विस्तृत बहस दोनों पक्षों की सुनी गई थी, परन्तु बहस में सर्वप्रथम यह तथ्य आया कि मूल अपील में रेस्पोडेंट संख्या 3 गोकलराम का दिनांक 25.05.2023 को ही देहांत हो गया था एवं अपील का निर्णय दिनांक 08.11.2023 को हुआ है, जो मृत व्यक्ति के विरुद्ध है। मृतक गोकलराम के कायम मुकामान की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का व शून्यप्रभावी है। इस संबंध में वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2017(2) RRT 1047 प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "Judgment passed against a deed person is without jurisdiction & nullity.

Decree passed by the Court, if it is a nullity, its validity can be questioned in any proceeding including in execution proceedings or even in collateral proceedings whenever such decree is sought to be enforced by the decree holder."

इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय 2021(2) RRT 1026 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Land Revenue Act] 1956-Section 82-Review-Order passed against a dead person-Khaju died on 13-11-2011 and order passed on 23-08-2023-Held, Order is void and set aside." एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय 2024 (2) RRT 792 में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया आदेश शून्य है एवं आदेश को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई का आदेश दिया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया गया कि गोकलराम का मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। गोकलराम की मृत्यु अपील के विचाराधीन रहते नहीं हुई थी। इसके अलावा विकल्प में यदि अपील के विचारण के दरम्यिान गोकलराम की मृत्यु हो गई तो भी गोकलराम कोई प्रभावी पक्षकार नहीं था, एक प्रफोर्मा पक्षकार था। इसलिए गोकलराम की मृत्यु हो जाने का अपील पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि गोकलराम प्रफोर्मा पक्षकार नहीं था, बल्कि खसरा नम्बर 473 की 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि गोकलराम के खातेदारी में दर्ज थी। प्रफोर्मा पक्षकार होने का तथ्य अपील में कहीं पर अंकित नहीं किया गया है।

उक्त प्रकरण में स्वीकृत रूप से गोकलराम की मृत्यु दिनांक 25.05.2023 को हो गई एवं अपील का निर्णय दिनांक 08.11.2023 को हुआ है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के उक्त न्यायिक दृष्टांतों को देखते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया आदेश प्रारम्भ से ही नलिटी व बिना क्षेत्राधिकार का है एवं वाईड व शून्यप्रभावी आदेश है। ऐसी स्थिति में इस प्राथमिक आपत्ति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश दिनांक 08.11.2023 को उचित एवं न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 08.11.2023 निरस्त किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी गोपाराम जो कि मूल अपील में अपीलान्ट है, को आदेशित किया जाता है कि वह मूल अपील में गोकलराम के वारिसान को रेकर्ड पर लाने के बाबत विधिनुसार कार्यवाही करे। मूल प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 27/05/2025 की तय की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल अपील के साथ संलग्न रखी जावे।

आदेश आज दिनांक 20/5/2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।